No.PIU/MoRT&H/PBE/Forest/2020-21/470
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
Project Implementation Unit, Shahjahanpur
B-15, Garden Estate, IPSA, Shahjahanpur-242001
Email: piumorthshahjahanpur@gmail.com

दिनांकः 28.09.2021

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
जनपद–पीलीभीत।

विषयः–जनपद पीलीभीत में राष्ट्रीय राजमार्ग–730C, 730B एवं 731K (रढ़ैता–पीलीभीत खण्ड) के निर्माण कार्य में संरक्षित वन भूमि पर बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 1089/15–1, पीलीभीत, दिनांक 24.09.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 को प्रयोक्ता एजेंसी को वापस करते हुए प्रभावित वृक्षों के Transplantation के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का आग्रह किया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय द्वारा Entire Tree Transplant (ETT) हेतु बचनबद्धता प्रमाण–पत्र आपके कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

2. इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना में प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष दो गुने अवनत वन भूमि वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। इस संदर्भ में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ, पत्र दिनांक 14.07.2021 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट को आवश्यक वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें आपके स्तर से भी कार्यवाही अपेक्षित है।

3. यह भी अवगत कराना है कि प्रभावित वृक्षों के Transplantation हेतु संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के प्रतिनिधि श्री रौनक श्रीवास्तव, साइट इंजीनियर (मो0 नं0–9862354387) को नामित किया गया था जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2021 के माध्यम से आपको प्रेषित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में पुनः अवगत कराना है कि Transplantation किये जाने वाले वृक्षों के निर्धारण हेतु इस कार्यालय को कोई अनुभव नहीं है तथा उक्त प्रकरण वन विभाग से सम्बन्धित होने के कारण Transplantation किये जाने वाले वृक्षों की गणना/चिन्हांकन वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम–1980 एवं शासनादेश 30.07.2021 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि Transplantation हेतु आवश्यक भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है तथा किसी अन्य जनपद में ऐसा कोई पूर्व दृष्टांत भी उपलब्ध नहीं है जिसमें प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा Transplantation हेतु भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

4. परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों द्वारा इस कार्यालय के प्रतिनिधि के सहयोग से पूर्व में ही सम्पादित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि आपके कार्यालय द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि एवं वन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/49626/2020 में अग्रिम कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण बाधक वृक्षों के पातन हेतु स्तर–I (Stage-I) की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं की जा की है जिससे परियोजना के क्रियान्वयन में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है।

क्रमशः....2/–

5. अतएव उक्त तथ्यों के आलोक में आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रस्ताव संख्या—FP/UP/ROAD/49626/2020 में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रस्ताव को अग्रिम स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे बाधक वृक्षों के पातन हेतु स्तर—I (Stage-I) की अनुमति प्राप्त कर सड़क निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष शुक्ला)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य अभियंता—क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, लखनऊ—226022
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, जनपद पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 बरेली वृत्त, बरेली।

(आशीष शुक्ला)
परियोजना निदेशक
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, शाहजहाँपुर।

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 162/11सी–FP/UP/ROAD/49626/2020 दिनांक, लखनऊ, जुलाई 14, 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट।

विषय : **i). Proposal No. :** FP/UP/ROAD/49626/2020 **(ii). Name of Project for which Forest Land is required** : Rehabilitation and Upgradation to 2-lane with paved shoulders configuration of Radhaita to Pilibhit Section of NH-731K (Km 137.250 to Km 183.380) (Package-IV) in the State of Uttar Pradesh under Green National Highways Corridor Project (GNHCP) with the loan assistance of world Bank on EPC mode **(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required :** In order to widening and up gradation will be performed on adjoining to the existing two laning road only .the road side plantation along the project road which is declared as PF Land will be impacted due to the proposed widening work. No other alternative exist for proposed widening **(iv). State :** Uttar Pradesh

महोदय

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में पीलीभीत वन प्रभाग में प्रभावित 44.376 हे0 संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण हेतु आवश्यक दुगने अवनत वनभूमि 88.752 हे0 अर्थात 90 हे0 अवनत वनभूमि की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में पीलीभीत वन प्रभाग हेतु आवश्यक शुद्ध 90 हे0 अवनत वनभूमि के सापेक्ष सकल क्षेत्र 110 हे0 अवनत वनभूमि (जिसका वानस्पतिक घनत्व 0.4 से कम हो) अपने वन प्रभाग में चिहिन्त कर इससे सम्बन्धित उपयुक्तता प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, Geo Coordinates, Kml File प्रभागीय निदेशक, पीलीभीत को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक – 162/11सी– FP/UP/ROAD/49626/2020, उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झॉसी, वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत।

2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट से समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित उपरोक्त समस्त अभिलेख प्राप्त करते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई शाहजहॉपुर, सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, विकास नगर, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।